राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

एफ 27(29) ग्राविवि–5/M & E Reports/2019–20/पार्ट–I  जयपुर, दिनांक 06 जुलाई, 2020

## –:: विडियों कॉन्फ्रेंस कार्यवाही विवरण ::–

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सूचना दिनांक 02.07.2020 के क्रम में विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि की अध्यक्षता में अधिशाषी अभियंता (अभि.)/ आवास प्रभारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त के साथ दिनांक 03.07.2020 को अपरान्ह् 3.00 बजे से 4.00 बजे तक समिति कक्ष, उत्तर पश्चिम भवन से विडियो कॉन्फ्रेसिंग आयोजित की गयी।

उक्त विडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण एवं गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति की समीक्षा कर अध्यक्ष महोदय द्वारा जिलो को निम्न निर्देश प्रदान किये गये :–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस एप पर दर्ज अतिरिक्त चिन्हित वंचित पात्र परिवारों का आधार विवरण मय सहमति पत्र आवाससॉफ्ट पर अपलोड किये जाने से क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित अवधि 30 जून से आगे बढाने, परन्तु दिनांक निर्धारित नहीं किये जाने से अवगत कराते हुये, विशेष अभियान चलाकर अवशेष 1,00,113 परिवारों का आधार विवरण दो दिवस में पूर्ण किया जावें।

   साथ ही अपलोड नहीं हो सकने वाले परिवारों का व्यक्तिगत विवरण एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
2. योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 के अतिरिक्त लक्ष्यों के विरूद्ध लगभग 4 माह व्यतीत होने के उपरांत भी 10873 स्वीकृतियां बकाया है। वर्ष 2019–20 की स्वीकृतियां बकाया होने के बावजूद भी जिलो द्वारा 2020–21 में स्वीकृतियां जारी किये जाने पर असंतोष प्रकट करते हुये, वर्ष 2019–20 बकाया स्वीकृतियां दिनांक 10.07.2020 तक अनिवार्य रूप से जारी की जावें।
3. योजनान्तर्गत वरीयता सूची में वर्ष 2020–21 हेतु अवशेष परिवारों को दिनांक 10.07.2020 तक अनिवार्य रूप से स्वीकृति जारी कर अपात्र परिवारों को रिमाण्ड मॉडयूल पर अपलोड किया जावें। पलायन एवं ग्राम पंचायत मे किसी नाम के व्यक्ति निवासरत नही होने के प्रकरणों में ग्रामसभा/ग्राम पंचायत बैठक में अनुमोदन कराकर सूची के साथ, पलायन के अतिरिक्त वरीयता सूची में कोई लाभार्थी अवशेष नहीं है के आशय का प्रमाण पत्र जिला कलक्टर के हस्ताक्षर से भिजवाया जावें।
   साथ ही यदि किसी ग्राम पंचायत का कोइ लाभार्थी किसी अन्य ग्राम पंचायत मे प्रदर्शित हो रहा हो तो, उसे भी पूर्व विभागीय निर्देशानुसार वर्तमान में प्रदर्शित ग्राम पंचायत में ही स्वीकृति की जावें।
4. गरीब कल्याण रोजगार अभियान अन्तर्गत शामिल 22 जिलो को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन एवं महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध की गयी प्रगति पर असंतोष प्रकट करते हुये, 7 दिवस में प्रगति में सुधार किये जाने के निर्देश दिये गये।
5. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के प्रशासनिक मद की वर्ष 2019–20 की सीए ऑडिट रिपोर्ट, सीएमबीपीएल आवास योजना एवं विधानसभा प्राक्कलन समिति की बकाया सूचना निर्धारित प्रपत्रों में 03 कार्य दिवसों में प्रेषित की जावें।

अन्त में विडियो कॉन्फ्रेंस बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(जयपाल सिंह मेडतिया)
राज्य नोडल अधिकारी, PMAY-G

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–**

1 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि. एवं पंरावि जयपुर।
2 निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, ग्रावि जयपुर।
3 जिला कलक्टर, जिला समस्त राजस्थान।
4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिशाषी अभियंता/ आवास प्रभारी, जिला परिषद समस्त।

राज्य नोडल अधिकारी, PMAY-G

C:\Users\user\Desktop\Nahar SI\MS Word\New letters dt 18-03-20.docx123